

क्र. 20-21

15-02-2023

अभिलेख उपस्थापित। लम्बे अवधि के पश्चात् भी किसी प्रकार का विधि व्यवस्था संज्ञान में नहीं आया है। समयावधि समाप्त।

अतः वाद की कार्यवाई बंद की जाती है।


कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
महागामा।

L/ 133 Abhi / 01

